

# कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम।

## सैरात बन्दोवस्ती सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2018-19 (1 ली जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक) के लिए खुली डाक बोली द्वारा दिनांक 12.06.2018 को 12.30 बजे अपराह्न मेदिनीनगर नगर निगम सभा कक्ष में की जायेगी। इस दिन बन्दोवस्ती नहीं होने के स्थिति में दिनांक 13.06.2018 को 12.30 बजे अपराह्न खुली डाक द्वारा बन्दोवस्ती की जायेगी।

क्र०	सैरातों का नाम	वर्ष 2017-18 की बन्दोवस्ती 1 ली अप्रैल 2018 से मार्च 2019 (12 माह) तक	1 ली जुलाई 2018 से मार्च 2019 (09 माह) तक	जमानत की राशि (25%)
1	रेड़मा, पॉकी रोड़ सब्जी बाजार	309925	232443	58111
2	गॉंधी मैदान स्टेशन रोड़ सब्जी बाजार	695750	521812	130453
3	स्टैण्ड- रेड़मा ट्रक के लिए (पुराना रॉची रोड़)	396880	297660	74415
4	स्टैण्ड - तालाब के पास दीन दयाल मार्ग पर टैम्पु एवं जीप के लिए	299000	224250	56063
5	बड़ा तालाब	674000	505500	126375

नोट :- न्यूनतम सुरक्षित राशि पूर्व की बन्दोवस्ती राशि में 10% की वृद्धि के पश्चात् निर्धारित की गयी है। डाक की नियम एवं शर्तें कार्यालय सूचना पट्ट एवं विभागीय [www.udhd.gov.in](http://www.udhd.gov.in) में देखा जा सकता है।

Sd/-  
कार्यपालक पदाधिकारी  
मेदिनीनगर नगर निगम

### डाक की नियम एवं शर्तें :-

- डाक बोलने वाले की जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कार्यपालक पदाधिकारी मेदिनीनगर नगर निगम के पदनाम से देय होगा जो भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा डालटनगंज में भुगतये होगा। यह ड्राफ्ट डाक बोली के एक घण्टा पूर्व तक जमा करनी होगी। डाक समाप्ति के बाद प्रथम एवं द्वितीय डाकवक्ता को छोड़कर बाकी डाक बोलने वाले व्यक्ति को जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- डाक समाप्ति के पश्चात् सर्वोच्च डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एकरारनामा के पूर्व बैंक ड्राफ्ट द्वारा एक मुश्त दिनांक 20.06.2018 तक जमा करनी होगी।
- यदि सर्वोच्च डाकवक्ता उपरोक्त समय पर डाक की राशि जमा नहीं करते हैं तो क्रमशः द्वितीय स्थानों के डाकवक्ता से डाक की राशि जमाकर उनके साथ सैरात की बन्दोवस्ती कर दी जायेगी और प्रथम डाकवक्ता का दावा रद्द कर दिया जायेगा एवं जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
- बन्दोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को मेदिनीनगर नगर निगम के नियम एवं शर्तों के अनुरूप एकरारनामा करना होगा इसके बाद ही वसुली हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
- डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वच्छता वैध चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
- वह व्यक्ति डाक में भाग नहीं लेंगे जिसके पास मेदिनीनगर नगर निगम का किसी भी तरह का बकाया (सैरात+होलिडिंग टैक्स) होगा।
- डाकवक्ता को वसूली प्रारम्भ करने के पूर्व दर तालिका का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, और वे निर्धारित दर पर ही वसुली करेंगे, अन्यथा किसी प्रकार का अनियमितता पाये जाने पर एक तरफा विचार कर रद्द कर दिया जायेगा।
- L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे एवं एकरारनामा निबंधन का खर्च बन्दोवस्तधारी को करना होगा।

9. निर्धारित शर्त के उल्लंघन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द किया जा सकता है एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा-विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/सक्षम पदाधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से PAN No. निर्गत संलग्न करना आवश्यक है।
11. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर नगर निगम जिम्मेवार नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।
12. डाकवक्ता द्वारा लगाई गई बोली का अन्तर रू० 15,000.00 से अधिक नहीं होगा।
13. पार्किंग का दर दो पहिया वाहन का सामान्य दर रू० 2.00 प्रतिदिन, चार पहिया वाहन रू० 5.00 प्रतिदिन
14. स्टैण्ड के लिए दर टैम्पू रू० 5.00 जीप रू० 10.00 मिनी बस रू० 20.00 ट्रक रू० 30.00 (ट्रक सिर्फ रेडमा स्टैण्ड) पुराना रॉंची रोड प्रति दिन होगा। मेदिनीनगर नगर निगम द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
15. किसी भी डाक को अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में स्थानीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

ज्ञापांक 1854 दिनांक 23/05/18  
प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी पलामू को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक 1854 दिनांक 23/05/18  
प्रतिलिपि :- कार्यालय सूचना पट्ट पर साटकर प्रचारार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक 1854 दिनांक 23/05/18  
प्रतिलिपि :- माननीय महापौर/उपमहापौर एवं सभी वार्ड पार्षद को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक 1854 दिनांक 23/05/18  
प्रतिलिपि :- उपायुक्त पलामू / उप विकास आयुक्त पलामू / अपर समाहर्ता पलामू / अपर जिला दण्डाधिकारी विधि व्यवस्था, पलामू/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर/जिला सहकारिता पदाधिकारी पलामू/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर/अंचल पदाधिकारी सदर, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक 1854 दिनांक 23/05/18  
प्रतिलिपि :- सरकार के उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड रॉंची को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
मेदिनीनगर नगर निगम

कार्यपालक पदाधिकारी  
मेदिनीनगर नगर निगम